

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0**

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 247/2012

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, जैतारण  
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,  
जिला-पाली (राजस्थान)

1. चावण्डसिंह पुत्र रणधीरसिंह राजपूत  
निवासी-काणेचा, तहसील-जैतारण

**राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955**

**तारीख रजुः 29.11.2012**

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

**--: निर्णय :-**

**दिनांक:- 01/07/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 170 रकबा 5-13 बीघा किस्म चा0प्र0 लगान 3.00 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 232 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 170 रकबा 5-13 बीघा किस्म चा0प्र0 लगान 3.00 रुपये आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21.11.2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामील के उपस्थित नहीं रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 18/12/2013 को की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 170 रकबा 232 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा है। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया है। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।


**उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)**

**-::आदेश::-**

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 170 रकबा 232 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड जैतारण, पाली, जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड जैतारण, पाली, जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-  
1. राजस्थान सरकार जरिये 1. चावण्डसिंह पुत्र रणधीरसिंह राजपूत  
तहसीलदार, जैतारण निवासी-काणेचा, तहसील-जैतारण  
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,  
जिला-पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत

मु0न0 :रा0वा0 स0: 247/2012

धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुब्दई व मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण में ख.नं. 170 रकबा 232 वर्ग मीटर किस्म चा0प्र0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .  
...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/07/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (जैतारण)  
(जिला-पाली)

रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील		
महनताना वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।